

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 19/2020

वादपत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट. 1955

1- गोपाल पिता शंकरलाल ब्राहमण नि. बोहेडा तहसील बड़ीसादड़ी

-वादी

-: बनाम :-

- 1- फेफा बाई पत्नी तुलसीराम ब्राहमण नि. बोहेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- सत्यनारायण पिता तुलसीराम ब्राहमण नि. बोहेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

-प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा बोहेडा पटवार हल्का बोहेडा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- गोपाल पिता शंकरलाल ब्राहमण सा. देह खातेदार

आ. नं.	रकबा
1369	0.210
1368/1	0.006
2	0.216

2- सत्यनारायण पुत्र तुलसीराम 1/2 फेफा बाई पत्नी तुलसीराम 1/2 ब्राहमण सा. देह खां. रहन बदस्तुर

आ. नं.	रकबा
1368 मी.	0.0540
1	0.0540

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को सरे ईजलास में सुनाया गया।



कल्पित शिवरान (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
बड़ीसादड़ी



मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 19/2020 वादपत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट. 1955

1- गोपाल पिता शंकरलाल ब्राहमण नि. बोहेडा तहसील बड़ीसादड़ी

-वादी

-: बनाम :-

- 1- फेफा बाई पत्नी तुलसीराम ब्राहमण नि. बोहेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- सत्यनारायण पिता तुलसीराम ब्राहमण नि. बोहेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

-प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा बोहेडा पटवार हल्का बोहेडा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- गोपाल पिता शंकरलाल ब्राहमण सा. देह खातेदार

आ. नं.	रकबा
1369	0.210
1368 / 1	0.006
2	0.216

2- सत्यनारायण पुत्र तुलसीराम 1/2 फेफा बाई पत्नी तुलसीराम 1/2 ब्राहमण सा. देह खां. रहन बदस्तुर

आ. नं.	रकबा
1368 मी.	0.0540
1	0.0540

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



कल्पित शिवरान (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व / 2024 / 198

दिनांक : 20.8.24

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



सहायक कलक्टर  
बड़ीसादड़ी